कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाऐं अजमेर ।

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांकः73 / अजमेर / 16–17

प्रमाणित किया जाता है कि **मार्डन एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर, जिला– अजमेर** का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या – 28, 1958) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण आज दिनांक को किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की मोहर से आज दिनांक **छः** माह **जुलाई** सन् **दो हजार सोलह** को अजमेर में जारी किया गया ।

(अभिलाषा पारीक)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
अजमेर

रजिस्ट्रार संस्थाए
अजमेर

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर

दिनाक 6/7/16

क्रमाक फा. ( )संस्था / पंजीयन / 16–17 / 2215

श्री शशिपाल S/o कन्हैयालाल

अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष

माडर्न एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर

जिला अजमेर

विषयः– राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन बाबत ।

विषयान्तर्गत लेख है कि आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र **कमांक 73 / अजमेर / 2016–17 दिनांक 06 – 07 – 2016** जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करे । यहां आपका ध्यान अधिनियम की धारा 4व 4 (क) की और भी आकर्षित किया जाता है, जिसके प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा के 14 वें दिवस मे निम्नलिखित सूचनांए इस कार्यालय को भिजवाना आवश्यक है –

1– संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सोंपा गया है, उस परिषद समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों / संचालको न्यासियों या सदस्य के नाम पतें और पेशे की सूचना मय पद के ।

2– एक विवरण पत्र जिसमे उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष की सूचि हो जिसमें वर्ष के दोरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो ।

3– संस्था के नियमों और विनियमों की एक तारीख सही प्रतिलिपि जो शाही निकायों के शासको, संचालको, न्यासियों या सदस्यों मे से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई है ।

इसके अतिरिक्त संस्था के नियमों और विनियमों मे किए गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐंसा परिवर्तन करने की तारीख से 14 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को पंहुच जानी चाहिए ।

आपका ध्यान इस और अधिनियम की धारा 4 (ख) की और आकर्षित कर लेख है कि जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानो के पालना में विफल रहने वाला अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सो रूपयो तक हो सकता है, तथा लगातार भंग होने की स्थिति में ओर ऐंसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येंक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध होने के पश्चात जारी रहता है। पचास रूपये से अधिक नही होगा । यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूचि में या धारा 4 "क" के अधिन रजिस्ट्रार को भेजे गए विवरण पत्र का नियमों और विनियमों की या उनमे किए गए परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबुझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है, तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो दो हजार रूपये तक हो सकता है ।

सलग्नः– मूल प्रमाण पत्र,विधान पत्र एंव विधान नियमावली

रजिस्ट्रार संस्थाए
अजमेर

नोटः–

1– इस कार्यालय से भविष्य मे किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय कृपया अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन नम्बर,वर्ष व पूर्ण पता अंकित करे ।

2– पंजियन के पश्चात् संस्था के पेन नं. कार्यालय को 15 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा संस्था का पंजियन निरस्त / रद्ध कर दिया जावेगा । कृपया सूचित रहें ।

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के

अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

2012
International
Year of
Cooperatives

Vijay Printers

D Block

Jaipur

मार्डन एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था

संघ विधान–पत्र

1– संस्था का नामः–. **मार्डन एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर** समिति / सोसायटी / संस्थान / संस्था है व रहेगा ।

2– पंजीकृत कार्यालयः– इस संस्था का पंजिकृत कार्यालय द्वारा श्री शशिपाल कुमावत न्यू चन्द्र नगर, ब्यावर रोड, अजमेर ,जिला अजमेर तथा इसका कार्यक्षेत्र भारत देश क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3– संस्था के उद्धेश्यः– इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य हैः–

क.सं	संस्था के उद्धेश्य
1.	शिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालन करना । राजस्थान सरकार एवं कैन्द सरकार द्वारा चलाये गये पाठयकम के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा देने की व्यवस्था करना ।
2.	छात्रों के लिए स्कूल एवं खेल मेदान हेतु भूमि राज्य सरकार से अनुदानित दरों से प्राप्त कर / कय कर शिक्षा भवनों एवं खेलकूद मैदान की व्यवस्था करना ।
3.	ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
4	गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना ।
5	राज्य सरकार द्वारा चलाये गये साक्षरता अभियान को सफल बनाने के प्रयास करना
6	प्राथमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा एवं तकनिकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना ।
7.	शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाऐं एवं बुलेटिन का प्रकाशन करना ।
8.	बाल कल्याण कार्यकमों एवं किया कलापों की व्यवस्था करना व संचालन में सहयोग प्रदान करना व सहयोग लेना ।
9.	छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना । एवं आम जन में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान एवं सुशिक्षित जिम्मेदार नागरिक बनाना ।
10	आधुनिक वैज्ञानिक चेतना हेतु कम्प्यूटर, नर्सिंग, चिकित्सा व अन्य शिक्षा के स्कूल कॉलेज भूमि आदि की स्थापना व संचालन करना ।
11.	छात्र छात्राओं के शैक्षणिक , शारीरिक, मानसिक सम्पन्नता हेतु विभिन्न स्त्रोतों से सहायता प्राप्त कर संचालन करना ।
12	अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछडा वर्ग व महिलाओं के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हेतु कार्य करना महिला शसक्तिकरण के कार्यकम आयोजित करने में सहयोग प्रदान करना ।
13	समस्त प्रकार की उच्च शिक्षा, स्नातक व अधिस्नातक मेडिकल अनुसंधान केन्द्र, इंजिनियरिंग, नर्सिंग बी.एड. तकनिकी शिक्षा, फार्मेसी कॉलेज के निर्माण एवं संचालन में सहयोग लेना व सहयोग प्रदान करना ।
14	विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में तकनिकी / प्रशिक्षण कर्मचारी उपलब्ध करानें, न्यूनतम खर्च व बगैर निविदा के सामग्री उपलब्ध कराना एवं सरकारी व गैर सरकारी विभागों से सहायता अथना अनुदान प्राप्त संस्था के संचालन में सहयोग प्रदान करना ।
15.	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम में शिविर आयोजित कर सहयोग देना एव पर्यावरण , वन, पशु व मत्सय पालन कैन्द्रों की स्थापना, संचालन बागवानी व वृक्षारोपण कार्यकमों में सहयोग प्रदान करना ।
16	केन्द्र /राज्य सरकार व अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा जारी विकास योजनाओं से सहयोग प्राप्त कर निराश्रितों, असहाय ,वृद्धजनों महिला परित्याकताओ अनु. जाति जनजाति एवं जरूरतमंदों को सहायता करना ।

Kavita Malipal

17	केन्द्र /राज्य सरकार व अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा जारी विकास योजनाओं से सहयोग प्राप्त कर व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण कैन्द्र, पुस्ताकालय, वाचनालय स्कूल छात्रावास, बालगृहों पालन घरों, और मातृत्व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन कर सहायता प्रदान करना ।
18	पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम, वन विकास करना, वनोषधियो एवं अन्य पोधों की व्यापारिक कृषि को बढावा देना व सेमीनार आयोजित कर प्रचार प्रसार करना व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के प्रयास करना
19	कैन्द्र/राज्य सरकार एवं जनभागीदारी से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन हेतु सहयोग प्राप्त कर सहायता दिलाना ।
20	मानव जाति की उन्नति हेतु समस्त कल्याणकारी कार्य करना, व प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करना ।

उपरोक्त उद्द्वेश्यों में कोई लाभ निहित नही है।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री

4. **संस्थान का कार्यभार –** संस्थान का कार्यभार संस्थान के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	शशिपाल कुमावत S/o कन्हैयालाल	व्यापार	435, न्यू कॉलोनी तालाब के पास पीसांगन	अध्यक्ष
2.	महिपाल कुमावत S/o कन्हैयालाल	व्यापार	लक्ष्मी निवास नई कॉलोनी बस स्टेण्ड के पास पीसांगन	कोषाध्यक्ष
3.	कविता कुमावत W/o शशिपाल कुमावत	[illegible]	56 चन्द्रनगर वाईन ब्यावर रोड, अजमेर	मंत्री
4.	हेमलता कुमावत D/o शशिपाल कुमावत	अध्ययन	89 चन्द्रनगर वाईन 12/13 गली M08 अजमेर	सदस्य
5.	मोहनराम खोजा S/o दयाराम	प्राइवेट नौकरी	764 खोजा का बास खाराड़ी पीपाड़ जोधपुर	सदस्य
6	अर्चना कंवर W/o महेन्द्र सिंह मनोहर	प्राइवेट नौकरी	A58 सत्यनगर झोटवाड़ा जयपुर	सदस्य
7.	महेन्द्र सिंह मनोहर S/o भवानी सिंह	प्राइवेट नौकरी	A58 सत्यनगर झोटवाड़ा जयपुर	सदस्य
8.				
9.				
10.				
11.				

रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर

Shimant — अध्यक्ष

Mahipal. — कोषाध्यक्ष

Kavita — मंत्री

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता जिनके नाम , व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है , इस संध–विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं ।

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	शशिपाल कुमावत S/o कन्हैयालाल	व्यापार	1135, न्यू कॉलोनी [illegible]	[signature]
2.	महिपाल कुमावत S/o कन्हैयालाल	व्यापार	[illegible]	Mahipal
3.	कविता कुमावत W/o शशिपाल कुमावत	गृहणी	56 चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर	Kavita
4.	वैभवी कुमावत D/o शशिपाल कुमावत	अध्ययन	89 चन्द्रनगर [illegible] अजमेर	Vaibhavi
5.	मोहनराम खोजा S/o दयाराम	प्रा. नौकरी	764 खोजा [illegible] पीपाड़ जोधपुर	[signature]
6	अर्चना कंवर W/o महेन्द्रसिंह मनोहर	प्राईवेट नौकरी	A58 [illegible] झोटवाड़ा जयपुर	Archana
7	महेन्द्रसिंह मनोहर S/o भवानी सिंह	प्राईवेट नौकरी	A58 [illegible] झोटवाड़ा जयपुर	[signature]
8.	[illegible] D/o शशिपाल	अध्ययन	SP-38 A Ricco Area Delhi Road Jaipur	Mone[illegible]
9.	[illegible] कुमावत D/o शशिपाल	अध्ययन	56-A चन्द्रनगर ब्यावर रोड अजमेर	[signature]
10.	दीपक S/o [illegible]	नौकरी	54 दुर्गानगर दुर्गापुरा [illegible] 15 जयपुर	Deepak
11				
12				
13.				

[signature] अध्यक्ष

Mahipal कोषाध्यक्ष

Kavita मंत्री

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
14.	....	....	....	....
15.	....	....	....	....

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्तांक्षरकर्त्ताओं को हम जानते हैं व इन्होनें हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं । हम यह भी धोषणा करते हैं कि हम इस संस्थान के सदस्य नहीं हैं ।

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर

हस्ताक्षर

नाम शिवराज खींची

व्यवसाय नौकरी

पता S/o रामलाल देवली जिला टोंक

हस्ताक्षर

नाम मुकेश कुमार प्रजापत

व्यवसाय प्राईवेट नौकरी

पता S/o जीवणराम गाँव-पाड त- रियाबड़ी जिला नागौर

1. संस्थान का पंजीयन क्रमांक 73/अजमेर/16-17
2. संस्था का नाम मार्डन एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर
3. किस्म दस्तावेज संघ विधान
4. दस्तावेजों की संख्या चार
5. दिनांक पंजीयन 06-7-16
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | मंत्री

Kavita

ATTESTED

NOTARY PUBLIC, AJMER

मार्डन एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था

विधान नियमावली

1– संस्था का नामः–. **मार्डन एजूकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर** समिति/सोसायटी / संस्थान /संस्था है व रहेगा ।

2– पंजीकृत कार्यालयः– इस संस्था का पंजिकृत कार्यालय **द्वारा श्री** शशिपाल कुमावत न्यू चन्द्रनगर बायपास रोड, अजमेर ,**जिला अजमेर** तथा इसका कार्यक्षेत्र **भारत देश** क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3– संस्था के उद्धेश्यः– इस संस्था के निम्नलिखित उद्धेश्य हैः–

क.सं	संस्था के उद्धेश्य
1.	शिक्षण संस्थान की स्थापना कर संचालन करना । राजस्थान सरकार एवं कैन्द सरकार द्वारा चलाये गये पाठयक्रम के तहत विद्यार्थियों को शिक्षा देने की व्यवस्था करना ।
2.	छात्रों के लिए स्कूल एवं खैल मेदान हेतु भूमि राज्य सरकार से अनुदानित दरों से प्राप्त कर /क्रय कर शिक्षा भवनों एवं खेलकूद मैदान की व्यवस्था करना ।
3.	ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
4	गरीब छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना ।
5	राज्य सरकार द्वारा चलाये गये साक्षरता अभियान को सफल बनाने के प्रयास करना
6	प्राथमिक शिक्षा ,माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा एवं तकनिकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना ।
7.	शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पत्र पत्रिकाऐं एवं बुलेटिन का प्रकाशन करना ।
8.	बाल कल्याण कार्यक्रमों एवं किया कलापों की व्यवस्था करना व संचालन में सहयोग प्रदान करना व सहयोग लेना ।
9.	छात्र छात्राओं का सर्वागीण विकास करना । एवं आम जन में राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान एवं सुशिक्षित जिम्मेदार नागरिक बनाना ।
10	आधुनिक वैज्ञानिक चेतना हेतु कम्प्यूटर, नर्सिंग, चिकित्सा व अन्य शिक्षा के स्कूल कॉलेज भूमि आदि की स्थापना व संचालन करना ।
11.	छात्र छात्राओं के शैक्षणिक , शारीरिक, मानसिक सम्बलता हेतु विभिन्न स्त्रोतों से सहायता प्राप्त कर संचालन करना ।
12	अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान हेतु कार्य करना महिला शसक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित करने में सहयोग प्रदान करना ।
13	समस्त प्रकार की उच्च शिक्षा, स्नातक व अधिस्नातक मेडिकल अनुसंधान केन्द्र, इंजिनियरिंग, नर्सिंग बी.एड. तकनिकी शिक्षा, फार्मेसी कॉलेज के निर्माण एवं संचालन में सहयोग लेना व सहयोग प्रदान करना ।
14	विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों में तकनिकी/प्रशिक्षण कर्मचारी उपलब्ध करानें, न्यूनतम खर्च व बगैर निविदा के सामग्री उपलब्ध कराना एवं सरकारी व गैर सरकारी विभागों से सहायता अथना अनुदान प्राप्त संस्था के संचालन में सहयोग प्रदान करना ।
15.	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के रोकथाम में शिविर आयोजित कर सहयोग देना एव पर्यावरण , वन, पशु व मत्सय पालन कैन्द्रों की स्थापना, संचालन बागवानी व वृक्षारोपण कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना ।
16	केन्द्र /राज्य सरकार व अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा जारी विकास योजनाओं से सहयोग प्राप्त कर निराश्रितों, असहाय ,वृद्धजनों महिला परित्याकताओ अनु. जाति जनजाति एवं जरूरतमंदों को सहायता करना ।

Kavita Malpal

17	केन्द्र /राज्य सरकार व अर्द्धसरकारी संस्थाओं द्वारा जारी विकास योजनाओं से सहयोग प्राप्त कर व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण कैन्द्र, पुस्ताकालय, वाचनालय स्कूल छात्रावास, बालगृहों पालन घरों, और मातृत्व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन कर सहायता प्रदान करना ।
18	पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम, वन विकास करना, वनोषधियो एवं अन्य पोधों की व्यापारिक कृषि को बढावा देना व सेमीनार आयोजित कर प्रचार प्रसार करना व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के प्रयास करना
19	कैन्द्र/राज्य सरकार एवं जनभागीदारी से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन हेतु सहयोग प्राप्त कर सहायता दिलाना ।
20	मानव जाति की उन्नति हेतु समस्त कल्याणकारी कार्य करना, व प्रचार प्रसार में सहयोग प्रदान करना ।

उपरोक्त उद्द्येश्यों में कोई लाभ निहित नही है ।

अध्यक्ष

Mahipal

कोषाध्यक्ष

Kavita

मंत्री

4. सदस्यता – निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्थान के सदस्य बन सकेगें –

1. संस्थान के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों ।
2. बालिग हों ।
3. पागल , दीवालिए न हों ।
4. संस्थान के उददेश्यों में रूचि व आस्था रखते हों ।
5. संस्थान के हित को सर्वोपरि समझते हों ।

5. सदस्यता का वर्गीकरण – संस्थान के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किए जा सकेंगें :–

1. संरक्षक
2. विशिष्ट
3. सम्मानित सदस्य
4. साधारण सदस्य

(जो लागू न हो , उसे काट दीजिए)

6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा – उप नियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा ।

1. संरक्षक राशि .....X.....वार्षिक / आजन्म
2. विशिष्ट सदस्य राशि .....X.....वार्षिक / आजन्म
3. सम्मानित सदस्य राशि .....X.....वार्षिक / आजन्म
4. साधारण सदस्य राशि 1000/- वार्षिक / आजन्म

उक्त राशि एकमुश्त अथवा रू0.....मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री

7. सदस्यता से निष्कासन – संस्थान के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा

(क) मृत्यु हो जाने पर

(ख) पागल हो जाने पर

(ग) त्यागपत्र देने पर

(ध) संस्था के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने पर

(ड़) प्रबंधकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर ।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिवस के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा ।

8. साधारण सभा – संस्थान के उप नियम सं. 5 में वर्णित सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगें ।

9. साधारण सभा के अधिकार एंव कर्त्तव्य – साधारण सभा के निम्न अधिकार एंव कर्त्तव्य होगें –

(क) प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना ।

(ख) संस्थान का वार्षिक बजट पारित कराना ।

(ग) प्रबंधकारिणी द्वारा किए गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।

(ध) संस्थान के कुल सदस्यों के $^{2}/_{3}$ बहुमत से विधान में संशोधन , परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना ।

(जो रजिस्ट्रार , संस्थाएं के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री

10. साधारण सभा की बैठकें

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी । लेकिन आवश्यक्ता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।
3. बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी ।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यक्ता नहीं होगी , लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व एजेण्. में थे ।
5. संस्थान के 1/5 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगें ।

(बैठक की सूचना यू.पी.सी. डाक या अखबार के द्वारा दी जावेगी ।)

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

मंत्री

11. कार्यकारिणी का गठन – संस्थान के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबंधकारिणी का गठन किया जाएगा , जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें ।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	कोषाध्यक्ष	एक
4.	मंत्री	एक
5.	सदस्य	सात

इस प्रकार प्रबंधकारिणी में 03 पदाधिकारी व 04 सदस्य कुल 07 सदस्य होगें ।

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तित किए जावें तो अंकित करें । कम पद रखना चाहे तो रख सकते हैं)

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन

क. संस्थान की प्रबंधकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा ।

ख. चुनाव अप्रत्यक्ष / प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा ।

ग. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी ।

13. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्त्तव्य – संस्थान की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होगें

क. सदस्य बनाना / निष्कासित करना ।

ख. वार्षिक बजट तैयार करना ।

ग. संस्थान की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

घ. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना , सेवामुक्त करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना ।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष मंत्री

ड़. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्विति करना

च. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना ।

छ. अन्य कार्य जो संस्थान के हितार्थ हों करना ।

14. कार्यकारिणी की बैठकें – क. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यक्ता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

ख. बैठक का कोरम प्रबंधकारिणी की कुल संख्या का आधे से अधिक का होगा।

ग. बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जावेगी तथा अन्य आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकेगी ।

घ. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी , जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर की जा सकेगी । ऐसी स्थिगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगें जो पूर्व ऐजेण्डा में थे । ऐसी स्थिगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबंधकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी । इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में कराना आवश्यक होगा ।

(बैठक की सूचना यू.पी.सी. डाक या अखवार के द्वारा दी जावेगी ।)

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

Kavita
मंत्री

15. प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :— संस्थान की प्रबंधकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगें—

अध्यक्ष :—

1. बैठकों की अध्यक्षता एवं संचालन करना ।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
3. बैठकें आहूत करना ।
4. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना ।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।
6. अन्य

उपाध्यक्ष :—

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
2. प्रबंधकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

मंत्री :—

1. बैठकें आहूत करना ।
2. कार्यवाही लिखना तथा रेकार्ड रखना ।
3. आय व्यय पर नियंत्रण रखना ।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।
5. संस्थान का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्थान की ओर से हस्ताक्षर करना ।
6. पत्र व्यवहार करना ।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो ।

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | मंत्री

कोषाध्यक्ष :–

1. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।
2. दैनिक लेखों पर नियंत्रण रखना ।
3. चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

उपमंत्री :–

1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना !
2. अन्य कार्य जो प्रबंधकारिणी/मंत्री द्वारा सौपें जावें ।

16. संस्थान का कोष – संस्थान का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा –

1. चंदा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान ।

उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक में सुरक्षित की जावेगी । अध्यक्ष/मंत्री अथवा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो अधिकृत पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा बैंक से लेन–देन संभव होगा ।

17. कोष संबंधी दिशाधिकार – संस्थान के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्थान की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

1. अध्यक्ष 10,000/– रू0
2. मंत्री 25,000/– रू0
3. कोषाध्यक्ष 30,000/– रू0

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

Kavita
मंत्री

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा । अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जावेगी ।

18. संस्थान का अंकेक्षण – संस्था के समस्त लेखे जोखों का वार्षिक अंकेक्षण करवाया जावेगा तथा वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएं प्रतिवर्ष को प्रस्तुत करने होगें ।

संस्थान का वित्तिय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक होगा ।

19. संस्था के विधान में संशोधन ,परिवर्तन – संस्था के संविधान में आवश्यक्तानुसार साधारण सभा के कुल में सदस्यों के ⅔ बहुमत से परिवर्तन , परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा ।

20. विघटन – यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उददेश्य वाली अन्य संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त सभी कार्यवाही राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21. संस्थान के लेखे जोखों का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार, संस्थाए अजमेर को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा एवं उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) माडर्न एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर समिति / संस्था / संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष

Malvika

Kavita
सचिव

माडर्न एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान अजमेर

1. संस्थान का पंजीयन क्रमांक 73/अजमेर/16-17
2. संस्था का नाम माडर्न एजुकेशन एण्ड
3. किस्म दस्तावेज विधान / नियमावली
4. दस्तावेजों की संख्या
5. दिनांक पंजीयन 06-7-16
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

NOTARY AJMER
0 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करा

ASHOK TEJWANI NOTARY AJMER (RAJ.)

NOTARIAL

शपथ पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था माईन एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान के पंजीयन हेतु शपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि

1. हमारी प्रस्तावित संस्थान माईन एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर संस्थान
कुल 10 आवेदक सदस्य है।
हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य
अन्य किसी समान उद्देश्य वाली समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।
3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु संख्या 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्य क्षेत्र में निहित
उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई हैं।
4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं
के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं
होगा।
5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यवसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु न तो गठित की
गई है और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।
6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यवसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें
किसी प्रस्तावक सदस्य का नीजि व्यक्तिगत लाभ ही निहित होगा।
7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा, तो रजिस्ट्रार संस्थाएं
अजमेर को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।
8. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी
प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार
होगा।

(signature)	Kavita	mahipal
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ प्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु संख्या 1 से 6 तक के तथ्य हमारी जानकारी में सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थाएं अजमेर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

(signature)	Kavita	mahipal
अध्यक्ष	मंत्री	कोषाध्यक्ष

ATTESTED
NOTARY PUBLIC, AJMER